न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वत सिंह चुण्डावत **R.A.S.**

GCMS प्रकरण संख्या 2023/268

प्रकरण संख्या 103/23

अनवान

1. श्रीमती नारायणी बाई पत्नि गटू राम डांगी निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।

.....प्रार्थीया

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 23.10.2023

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा वाना पटवार मण्डल वाना तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–81 में खाता संख्या नया 917 की आराजी नम्बर 3525, 3526, 4781/3526 कुल किता 3 रकबा 1.7800 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि प्रार्थीया के नाम पर हिस्सा पूर्ण सा.देह खातेदार से अंकित है। यह कि प्रार्थीया एक मात्र खातेदार काश्त होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है।
2. यह कि कलम नंबर 1 में वर्णित भूमि के पडौस में विपक्षी की राजकीय बिलानाम भूमि आ गई और प्रार्थीया एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीया अपनी भूमि के बाड नहीं करवा पा रही है जिससे उक्त भूमि में खडी फसलों में जंगली एवं आवारा पशु प्रवेश होकर प्रार्थीया की फसल को नुकसान पहुचाते है। अतः निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र की कलम नंबर 1 में वर्णित भूमि की पक्की पत्थरगढी तहसीलदार के मार्फत कराई जावें एवं मौके पर पत्थर गडवाये जावें।
3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम वाना में प्रार्थीया के नाम आराजी नंबर 3525 रकबा 0.6900 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी नंबर 3526 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी नंबर 4781/3526 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि कुल किता 3 रकबा 1.7800 हैक्टेयर भूमि श्रीमती नारायणी पत्नि गटुराम डांगी सा. वातडा हाउस एनएच 76 घणोली तहसील मावली खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया की उक्त खातेदारी भूमि के चारो तरफ विपक्षी की भूमि राजस्व दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं होना बताया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2023.12.15 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थीया की बहस को सुन। प्रार्थीया के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीया की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीया की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थीया अपनी आराजीयात में पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीया अपनी भूमि में बाड नहीं करवा पा रही है जिससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। अतः प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी एवं विपक्षी के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीर्या का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है मौजा वाना पटवार मण्डल वाना तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–81 में खाता संख्या नया 917 की आराजी नम्बर 3525, 3526, 4781/3525 कुल किता 3 रकबा 1.7800 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है, कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को एक दिन का वेतन प्रार्थीया द्वारा अदा किया जावें। तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.12.15 16:10:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।